(c) कर्तव्यों के प्रसंग में समानता :-

कानूनी समानता की अधिकारों के साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होंगे। जन्म, वंश, धर्म या संपत्ति आदि के आधार पर न तो किसी को विशेष सुविधाएँ प्राप्त होंगी और न उनके कर्तव्य ही अलग-अलग माने जाएँगे।

(d) करों के निर्धारण में समानता :-

करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करों का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए। इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर भेद किया जा सकता है।

(e) विवेकसंगत आधार पर भेदभाव मान्य :-

कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जानेवाले भेदभाव का ही निषेध करता है। विवेकसंगत आधार पर यदि किसी का विशेष को विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं तो समानता का सिद्धांत का निषेध नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हैं।

## 2. राजनीतिक समानता

राजनीतिक समानता से हमारा तात्पर्य राजनीतिक अधिकार के मार्ग पर सभी को समान पहुँच से है। सभी नागरिकों के पास समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। सरकार के कामकाज में उनकी समान आवाज होनी चाहिए और उन्हें देश के राजनीतिक जीवन और मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के समान अवसर होने चाहिए।
राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समानताएँ आती हैं —

(a) मतदान का अधिकार :-

इसके अंतर्गत सभी धर्म, जाति, सम्पत्ति, शिक्षा एवं लिंग के आधार पर किसी भेद-भाव